न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सीकर

उनवान – रामदेव सिंह बनाम तहसीलदार सीकर

किस्म मुकदमा – प्रा0–पत्र 136 एल.आर.एट 1956 मुकदमा नं विविध 238 / वर्ष 2022

आज्ञा पत्र

दिनांक	
25.07.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सोहनलाल चौधरी हाजिर। कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। तहसीलदार सीकर को वस्तुस्थिति की रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहरीर जारी हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर आ.ता.पेशी दिनांक 12.08.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सीकर
12/8/22	पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 26/8/22 को पेश हो।
26/8/22	पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट TD12 प्राप्त। आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 14.9.22 को पेश हो।
14/9/22	प्रा० पेश हुई। व्यक्तिगत प्रार्थी हाजिर। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार दुरुस्ती करने पर सही जवाब। प्रा० का एवं रिपोर्ट तहसीलदार एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण दुरुस्तीय है। अतः आवेदन प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131 का स्वीकार किया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार पृष्ठांकन मु.अ./2022/4031 दि० 24.8.21 के अनुसार तरमीम मुद्दी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुसार तरमीम दुरुस्ती करे। रिपोर्ट तहसीलदार निर्णय का भाग रहेगी। पक्षकार फैसला अनुसार देकर खर्चा से मुक्त। आखिर खर्चा दो निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी- सीकर